



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

फैक्स/Fax : + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2019./स.नि.अनु./324-06/2021
दिनांक : 25.05.2022

अधिसूचना

विद्या-परिषद की दिनांक 25.04.2022 को संपन्न 41वीं बैठक की मद संख्या 6 में लिए गए निर्णय के अनुपालन में अकादमिक सत्र 2021-22 से पी-एच.डी. कोर्स वर्क की निम्नांकित दो पाठ्यचर्याओं की क्रेडिट में निम्नानुसार किये गये संशोधन को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| 1. आधारभूत शोध प्रविधि | : 02 क्रेडिट के स्थान पर 04 क्रेडिट |
| 2. कंप्यूटर अनुप्रयोग | : 04 क्रेडिट के स्थान पर 02 क्रेडिट |

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
25/05/22

प्रति (ईमेल द्वारा) : समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. निदेशक, आंतरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठ
4. प्रवेश प्रकोष्ठ/परीक्षा विभाग (आवश्यक कार्रवाई हेतु)
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली